(37)

संख्या-2/8/97-स्थापना (वेतन-II)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय के पदों पर नियुक्ति होने पर समूह ''क'' के अधिकारियों के वेतन के विनियमन के संबंध में सरकार के निर्णय**

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 2001 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लिया जाए ।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8 में यह विहित किया गया है कि ये आदेश, इनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे और उन अधिकारियों के मामले पुनः नहीं खोले जाएंगे जिन्होंने अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पहले ही पूरी कर ली है और अपने-अपने मूल संवर्गों में लौट गए हैं ।

3. उपर्युक्त प्रावधान का आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 09 अप्रैल, 2001 के कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत जारी आदेश, उन अधिकारियों पर समान रूप से लागू होंगे जो 09.04.2001 से पूर्व की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर थे लेकिन इस तारीख से पूर्व अपने-अपने संवर्गों में वापस चले गए थे ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 23-02-2004 के यू.ओ. संख्या 110/1/2004-आई.सी. के अन्तर्गत दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

5. जहाँ तक लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत अधिकारियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

भारत सरकार की उप सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग

संख्या - 2/8/97-स्था. (वेतन-II) दिनांक 11 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उसके नियंत्रणाधीन सभी राज्यों को (400 अतिरिक्त प्रतियाँ)
2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय
3. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग)
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय
6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी., फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली
8. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
11. 500 अतिरिक्त प्रतियाँ

रीता माथुर

(रीता माथुर)

भारत सरकार की उप सचिव